

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)


गोपाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी रावतखेडा

बनाम

कैलाश पिता नारायण जाति मीणा निवासी रावतखेडा वगैरा

मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 637/2023

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 125 कुल किता 01 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 132/2,133/2, 334/3, 335/3, 383/3, 455/3, 76/1, 79/3, 86/2, 911/3 कुल किता 10 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1067/108 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 492 कुल किता 01 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83 कुल किता 03 रकबा 0.4857 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्मत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 125 कुल किता 01 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 132/2,133/2, 334/3, 335/3, 383/3, 455/3, 76/1, 79/3, 86/2, 911/3 कुल किता 10 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1067/108 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 492 कुल किता 01 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83 कुल किता 03 रकबा 0.4857 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

दिनांक / 2023 / 627 / 2023


दिनांक :- 21.06.2023

हसीलदार जहाजपुर

प्र. सं. 637/23 अनवान गोपाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी रावतखेडा
बनाम कैलाश पिता नारायण मीणा, कैलाशी पत्नि रामकुवॉर मीणा, लादू पिता गंगाराम
मीणा, ग्यारसा पिता लादू बैरवा, रामेश्वर पिता रामलाल मीणा, गोपीचन्द पिता नारायण
मीणा, रामेश्वर पिता भोजुराम मीणा निवासियान रावतखेडा तहसील जहाजपुर
जिला-भीलवाडा राजस्थान

पत्थरगढी की पालना करने बावत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा
जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 125 कुल किता 01 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,
नम्बर 132/2, 133/2, 334/3, 335/3, 383/3, 455/3, 76/1, 79/3, 86/2,
3 कुल किता 10 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1067/108 कुल किता 01 रकबा 0.
हैक्टेयर, आराजी नम्बर 492 कुल किता 01 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83
किता 03 रकबा 0.4857 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु
लेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रु. तय
जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे।
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में
करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

21/4/23